34

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 895–तीन/2005 – विरूद्ध – आदेश दिनांक – 21–4–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 11/2002–03 अपील

मुरारीलाल पुत्र हरप्रसाद ब्राहमण
कस्वा लहार जिला भिण्ड म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1– मोहनलाल पुत्र मुरारीलाल ब्राहमण
2– श्रीमती शकुन्तला पत्नि रामसनेही श्रीवास्तव
3– श्रीमती कटोरीदेवी पत्नि पहलवान उपाध्याय
4– श्रीमती शारदादेवी पत्नि श्यामसुन्दर श्रीवास्तव
निवासीगण बार्ड क–1 कस्वा लहार
5– पूरन पुत्र रमदीन बघेला निवासी मिहोना
हाल निवासी स्नेहनगर कालोनी के पास
कस्वा लहार तहसील लहार जिला भिण्ड
6– ज्वालाप्रसाद शर्मा रिटा0दीवान कोनीपुरावाले
बार्ड क–15 कस्वा लहार जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(रिस्पा.क–1 से 6 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 3 – 10 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 11/2002–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–4–2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 ने तहसीलदार लहार को म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115,116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि कस्वा लहार स्थित भूमि सर्वे नंबर 8686, 3687, 4799, 5464, 5465 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर उसका 15 वर्षो से कब्जा है इसलिये शासकीय अभिलेख में उसके नाम के कब्जे की प्रविष्टि की जावे। तहसीलदार लहार ने प्रकरण कमांक 3/1989-90 अ-6-अ पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनॉक 10-1-2003 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक क-1 का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक एंव अनावेदक कमांक 2,3,4 ने अनुविभागीय अधिकारी, लहार के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी लहार ने प्रकरण कमांक 48/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनॉक 30-8-2003 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 10-1-2003 निरस्त किया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 11/2002-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-4-2005 से अपील स्वीकार की एंव अनुविभागीय अधिकारी लहार का आदेश दिनॉक 30-8-2003 निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर विचार किया गया तथा आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के अवलोकन के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अनावेदकगण को बार-बार सूचना भेजने

पर सम्यक सूचना निर्वहन के अभाव में पंजीकृत डाक से सूचना भेजी गई किन्तु उनके अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस पर बल देते हुये बताया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 लहार के प्रकरण क्रमांक 50 ए/2010 ई.दी. में पारित आदेश दिनांक 26-2-2013 से स्वामित्व का फैसला हो चुका है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत कर व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होना बताते हुये निगरानी स्वीकार करने की मांग की।

5/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी लहार ने प्रकरण क्रमांक 48/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनॉक 30-8-2003 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 10-1-2003 निरस्त करते हुये प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है अर्थात अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम नहीं है अपितु अंतरिम आदेश है, जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत होने पर ही गुणदोष पर विचार किया जा सकता है। अपर आयुक्त चम्बल संभाग के समक्ष द्वित्तीय अपील क्रमांक 11/2002-13 प्रस्तुत हुई है एंव अपर आयुक्त व्दारा अपील प्रकरण का गुणदोष पर अंतिम निराकरण किया हे, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील ग्राह्य-योग्य एंव प्रचलन योग्य नहीं थी। स्पष्ट है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 21-4-2005 विधि में विहित नियम एंव प्रकिया के विरूद्ध है जो शून्यवत् है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 11/02-03

अपील में पारित आदेश दिनांक 21-4-2005 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 21-4-05 निरस्त होने के परिणामस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी लहार व्दारा प्रकरण कमांक 48/2002-03 अपील में पारित प्रत्यावर्तन आदेश दिनॉक 30-8-2003 पुर्नजीवित होता है एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय में हितबद्व पक्षकारों की पुर्नसुनवाई होगी। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके कारण आवेदक तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान तद्नुसार कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 11/2002-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-4-2005 त्रृटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर